



सेवा में,

श्री बलबीर सिंह चौहान,
मकान नंबर 1, लेन नंबर -1,
महिमा एन्क्लेव, केहरी गाँव,
पोस्ट ऑफिस - चंदनवाड़ी,
प्रेमनगर, देहरादून - 248 007 (उत्तराखंड)

विषय: आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

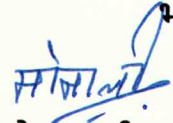
संदर्भ: आपका आरटीआई पत्र ---0000--- दिनांक 05.02.2022

महोदय,

कृपया आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत उल्लिखित अपने आवेदन को देखें। इस संदर्भ में, आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगे गए प्रश्न संख्या 1 से 14 के लिए आपका आरटीआई आवेदन खारिज कर दिया गया है, क्योंकि मांगी गई जानकारी का स्पष्ट रूप से कोई सार्वजनिक हित नहीं है और इस संस्थान के कर्मचारी होने के नाते केवल आपके स्वयं के सेवा मामले से संबंधित है।

यदि आप उपरोक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, के तहत अधोलिखित अपीलीय प्राधिकारी डॉ. धनंजय मोहन, निदेशक और अपीलीय प्राधिकरण, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स 18, चंद्रबनी, देहरादून - 248 001, दूरभाष 0135-2640910 को एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं।

धन्यवाद,

भवदीय,

(डॉ. मोनाली सेन, आई.एफ.एस.)
नोडल अधिकारी और
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी